

# फॉर्म आईएसआर - 1

(सेबी का परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी\_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंड और पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के लिए मानदंड देखें)

**पैन, केवाईसी विवरण या उसमें परिवर्तन/अद्यतन के पंजीकरण के लिए अनुरोध**  
[भौतिक रूप में धारित सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों (शेयर/डिबेंचर/बॉण्ड, आदि) के लिए]

दिनांक: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

क. मैं/हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निम्नलिखित को पंजीकृत/बदलें/अपडेट करें (सुसंगत बॉक्स पर ✓ करें)

<input type="checkbox"/>	पैन	<input type="checkbox"/>	बैंक विवरण	<input type="checkbox"/>	हस्ताक्षर
<input type="checkbox"/>	मोबाइल नंबर	<input type="checkbox"/>	ई-मेल आईडी	<input type="checkbox"/>	पता

ख प्रतिभूति विवरण:

जारीकर्ता कंपनी का नाम		फोलियो नंबर:
प्रमाण पत्र के अनुसार प्रतिभूति धारक (धारकों) का नाम	1.	
	2.	
	3.	
प्रतिभूतियों की संख्या और अंकित मूल्य		
प्रतिभूतियों की विशिष्ट संख्या (वैकल्पिक)	से	को

ग मैं/हम नीचे दी गई तालिका के अनुसार दस्तावेज जमा कर रहे हैं (सुसंगत रूप में पर निशान ✓ लगाएं, निर्देश देखें) :

✓	दस्तावेज़ / सूचना / विवरण	निर्देश / टिप्पणी
1	(सभी) (संयुक्त) धारक (धारकों) का पैन	
	पैन	<input type="text"/>
	क्या यह वैध है (आधार से जुड़ा हुआ):	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	<input type="text"/>
	पैन तभी मान्य होगा जब वह 31 मार्च, 2022 तक आधार से जुड़ा हो*	



**प्राधिकरण :** मैं/हम आपको (आरटीए) मेरे/हमारे फोलियो(यों) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ में उपरोक्त पैन और केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए अधिकृत करते हैं, ( अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होने पर अलग से अनुलग्नक का उपयोग करें ) जिसमें मैं/हम धारक हूँ ) (जो लागू न हो उसे काट दें)।

**घोषणा:** उपरोक्त सभी तथ्य सत्य और सही हैं।

	धारक 1	धारक 2	धारक 3
हस्ताक्षर	✓		
नाम	✓		
पूरा पता	✓		
पिन	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### आरटीए को दस्तावेज जमा करने का मोड

कृपया निम्न में से किसी एक मोड का उपयोग करें;

- व्यक्ति सत्यापन ( आईपीवी ) में: आरटीए के अधिकृत व्यक्ति को मूल प्रस्तुत करके, जो दस्तावेज़ ( दस्तावेज़ों ) की प्रतिलिपि बनाए रखेगा
- हार्ड कॉपी में : संबंधित दस्तावेज की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी दिनांक के साथ प्रस्तुत करें।
- दस्तावेज़ों की स्कैन प्रतियों के ई-साइन के साथ आरटीए के साथ ई-मेल पते के माध्यम से पहले से ही पंजीकृत ।
- दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियों के साथ ई-साइन के साथ आरटीए का सेवा पोर्टल, यदि आरटीए ऐसी सुविधा प्रदान कर रहा हो।

#### टिप्पणी

- सूचीबद्ध कंपनी में भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए पैन, पूर्ण केवाईसी विवरण (पता प्रमाण, बैंक विवरण, ई-मेल पता, मोबाइल नंबर) और नामांकन (सभी योग्य फोलियो के लिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- बैंक विवरण की रसीद या अद्यतन होने पर, आरटीए धारक के सभी पैसे / भुगतान जो पिछले दावारहित / असफल थे स्वतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान करेंगे ।
- आरटीए इसकी रसीद सात कार्य दिवसों के भीतर पैन, केवाईसी विवरण और नामांकित व्यक्ति के साथ फोलियो को अपडेट करेगा। हालांकि, नामांकन निरस्त करना, कंपनी/आरटीए द्वारा यह सूचना प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा।
- आरटीए शपथ पत्र या सत्यापन / नोटरीकरण या पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन को पंजीकृत करने / अद्यतन करने / बदलने के लिए क्षतिपूर्ति पर जोर नहीं देगा।

<ul style="list-style-type: none"> <li>• नमूना हस्ताक्षर</li> </ul>	<p><u>सेबी परिपत्र</u>  <u>सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655</u>  <u>दिनांक 03 नवंबर, 2021</u> में <u>फॉर्म आईएसआर-2</u> के अनुसार धारक (कों) के हस्ताक्षर का सत्यापन बैंकर द्वारा प्रदान करें और</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• मूल रद्द चेक जिस पर प्रतिभूति धारक का नाम छपा हो या बैंक द्वारा बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट सत्यापित हो।</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• नामांकन**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• नामांकन प्रदान करना: कृपया विधिवत भरा हुआ नामांकन फॉर्म ( <u>एसएच-13</u> ) या 'नामांकन से ऑफ्ट आउट घोषणा' <u>फॉर्म आईएसआर-3</u> के अनुसार <u>सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655</u> दिनांक <u>03 नवंबर, 2021</u> को जमा करें।</li> <li>• मौजूदा नामांकन में परिवर्तन: कृपया <u>सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655</u> का फॉर्म एसएच -14 . का उपयोग करें।</li> <li>• मौजूदा नामांकन को रद्द करना: <u>फॉर्म एसएच -14</u> और <u>फॉर्म आईएसआर - 3</u> का उपयोग करें।</li> </ul>

\*\* नामांकन ( फॉर्म एसएच-13 या एसएच-14 )/'नामांकन से ऑफ्ट-आउट करने की घोषणा' ( फॉर्म आईएसआर-3 ), प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए धारक(कों) द्वारा अलग से प्रस्तुत किया जाना है।

(पेज 3 और 4 निवेशकों की जानकारी के लिए है, इसके प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है)

## आपत्ति ज्ञापन जिसे आरटीए द्वारा उठाया जा सकता है

(केवल यदि सुसंगत दस्तावेज/विवरण फोलियो में उपलब्ध नहीं है या उसमें कोई बेमेल/विसंगति है या उसमें परिवर्तन है)

### टिप्पणी

आरटीए सभी आपत्तियां, यदि कोई हों /पूर्णतया, केवल एक ही मामले में उठाएंगे ; धारक/दावेदार द्वारा सभी निर्धारित दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत करने के बाद, आरटीए एक ही मुद्दे पर बार-बार आपत्तियां नहीं उठाएगा, जब तक कि उसमें कोई कमी/विसंगति न हो।

संख्या	मद	धारक /दावेदारों द्वारा आरटीए को उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेज /विवरण
1	पैन - छूट और स्पष्टीकरण	'पैन के लिए छूट/स्पष्टीकरण', जैसा कि <a href="#">सेबी के परिपत्र संख्या एमआईआरएसडी/एसई/सर-21/2011 05 अक्टूबर 2011 के अनुलग्नक -1 में 'केवाईसी फॉर्म भरने के लिए निर्देश/जांच सूची' के खंड डी में प्रदान किया गया है।</a> प्रतिभूति बाजार के लिए यूनिफॉर्म नो योर क्लाइंट (केवाईसी) आवश्यकताओं पर, भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के धारक /दावेदारों पर भी लागू होगा।
2	सिग्रेचर में मामूली बेमेल - माइनर	आरटीए 15 दिनों के भीतर, आपत्ति, यदि कोई हो, की मांग करते हुए धारक को मौजूदा पते पर सूचित करेगा
3	हस्ताक्षर में प्रमुख बेमेल या आरटीए के साथ इसकी अनुपलब्धता	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">फॉर्म आईएसआर - 2</a> के अनुसार धारक (कों) के हस्ताक्षर का बैंकर को सत्यापन</li> <li>• मूल रह किया गया चेक जिस पर प्रतिभूति धारक का नाम छपा हो या बैंक द्वारा <a href="#">बैंक पासबुक या सत्यापित बैंक स्टेटमेंट</a></li> </ul>
4	नाम में बेमेल	<p>नामों में अंतर स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करें;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) ( आधार)</li> <li>• वैध पासपोर्ट</li> <li>• ड्राइविंग लाइसेंस</li> <li>• फोटो के साथ पैन कार्ड</li> <li>• आवेदक के फोटो के साथ पहचान पत्र / दस्तावेज, निम्नलिखित में से किसी द्वारा जारी: केंद्र / राज्य सरकार और उसके विभाग, वैधानिक / नियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान</li> <li>• शादी का प्रमाणपत्र</li> <li>• तलाक डिक्री</li> </ul>
5	धारक का वर्तमान पता फोलियो में उपलब्ध पता सुमेलित नहीं है	<p>आरटीए पुराने और नए दोनों पते पर सूचना जारी करेगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ऐसे मामले में जहां पत्र पुराने पते पर वितरित नहीं किया गया है, आरटीए पुराने पते के किसी भी प्रमाण के लिए जोर नहीं देगा, बशर्ते वर्तमान पता प्रमाण एक सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए पते के प्रमाण के रूप में हो।</li> </ul> <p>उपरोक्त प्रक्रिया धारक के पते में परिवर्तन के अनुरोध के लिए भी लागू होगी</p>

(पेज 3 और 4 निवेशकों की जानकारी के लिए है, इसके प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं है)